महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम २००५ – मध्यप्रदेश

:: प्रमुख बिन्दु ::

योजना क्या है ?

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया है ।
- इस योजना के अंतर्गत अकुशल मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी दी गयी है ।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल श्रम (मजदूरी) करने का इच्छुक है, की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है ।
- यह योजना 100 दिवस के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी एक परिवार के लिये है, न कि किसी परिवार के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति के लिये ।
- वयस्क सदस्य का मतलब होगा कि वह 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो ।

योजना के लाभार्थी कौन होंगे ?

- गांवों में निवास करने वाले पंजीयत परिवार का वयस्क सदस्य, जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गयी हो और वह अकुशल शारीरिक काम करने के लिये तैयार हो ।
- जॉब कार्ड प्राप्त कर रोजगार हेतु ग्राम पंचायत को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया हो ।
- प्रत्येक पंजीयत परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जावेगा ।

योजना क्रियान्वयन के चरण क्या होंगे ?

- योजना के आरंभ में जिले में तैयार किये गये पर्सपेक्टिव प्लान से कार्य आरंभ करवाये जा सकेंगे ।
- ग्राम स्तर पर गांव के लोग अपनी ग्राम सभा में बैठकर यह तय करेंगे कि योजना के अन्तर्गत कौन–कौन से काम करवाये जा सकते हैं ।
- ग्राम सभा द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यों की अनुशंसा की जावेगी ।
- ग्राम सभा की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कार्ययोजना तैयार करेगी ।
- ग्राम पंचायत से यह कार्ययोजना जनपद पंचायत को भेजी जाएगी ।
- जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) द्वारा जनपद पंचायत से अनुमोदन लिया जावेगा ।
- कार्यों के आधार पर क्रियान्वयन एजेंसी का चयन किया जावेगा ।
- जनपद पंचायत अनुमोदन के बाद योजना जिला पंचायत को अग्रेषित की जावेगी ।
- जिला पंचायत द्वारा विकासखंडवार योजनाओं को अनुमोदित किया जावेगा ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 – मध्यप्रदेश

मजदूर रोजगार प्राप्त करने के लिये कहां व कैसे पंजीयन करायेंगे ?

- गांव में रहने वाला प्रत्येक परिवार उसके ऐसे वयस्क सदस्यों का पंजीयन ग्राम पंचायत में करायेगा जो अकुशल श्रम करने के लिये तैयार है ।
- पंजीयन कराते समय परिवार द्वारा ऐसे सदस्यों के नाम, उम्र और पते आदि का विवरण लिखाना जरूरी होगा, के साथ अपना पंजीयन करा सकता है ।
- ग्राम पंचायत पंजीयन के लिये जरूरी छानबीन करने के बाद पंजीयन करेगी ।
- पंजीयन कराने वाले परिवार को ग्राम पंचायत रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) बना कर देगी ।
- पंजीयन से संबंधित रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) में परिवार के वयस्क सदस्यों की फोटो भी लगाई जावेगी । ग्राम पंचायत द्वारा किया जाने वाला पंजीयन योजना के लागू रहने तक की अवधि तक के लिये मान्य होगा जो कि पांच वर्ष से कम की नहीं होगी ।
- इसके अलावा समय–समय पर इसका नवीनीकरण की व्यवस्था भी की जा सकती है ।
- जिस परिवार का ग्राम पंचायत में पंजीयन हो गया हो, वे इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।
- वह जितने दिनों की जरूरत समझे उतने दिनों के लिये रोजगार मांग सकता है ।
- ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि इस प्रकार रोजगार की मांग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर या उस तारीख से जिससे उसने रोजगार के लिये आवेदन किया है 15 दिन के भीतर (जो भी बाद में हो) रोजगार उपलब्ध करायेगा । इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी और यह भी ध्यान रखा जावेगा कि जिन्होंने रोजगार की मांग करने वाले कुल लाभार्थियों जिनका पंजीयन ग्राम पंचायत में कराया गया है उनमें से कम से कम एक तिहाई महिलाओं की संख्या हो । परिवार का प्रत्येक वयस्क सदस्य जिसे रोजगार पत्र जारी किया गया है अकुशल श्रम के लिये रोजगार की मांग करने का पात्र होगा ।
- ग्राम पंचायत से रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी को रोजगार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

ग्राम पंचायत में कौन-कौन से रिकार्ड रखे जायेंगे ?

- ग्राम पंचायत, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना का विवरण, रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) जारी किये गये व्यक्तियों के नाम, उम्र, पता और परिवार के मुखिया का नाम इत्यादि का विवरण अभिलेख में रखेगी ।
- ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयत लोगों के विवरण के साथ अन्य आवश्यक चाही गई जानकारियां निर्धारित समय में कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जावेंगी ।
- जिन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया हो, ऐसे व्यक्तियों की सूची को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत के नोटिस बोर्ड तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (कार्यक्रम अधिकारी) जहां उचित समझे वहां चस्पा की जावेगी ।
- सूची राज्य सरकार या किसी भी इच्छुक व्यक्ति के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी ।

रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) क्या है और कैसे बनेगा ?

- पंजीकरण हो जाने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवार के वयस्क सदस्यों के फोटो वाले जॉब कार्ड जारी किये जायेंगे ।
- यह कार्ड पांच वर्ष के लिये बनाया जायेगा । इस कार्ड में परिवार के पंजीकरण की संख्या दर्शायी जावेगी ।
- इस कार्ड का उपयोग रोजगार की मांग करने के लिये किया जावेगा ।
- जॉब कार्ड प्राप्त करने के बाद ही रोजगार प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 – मध्यप्रदेश

रोजगार कैसे मिलेगा ?

- यह मांग आधारित योजना है । किसी भी जॉब कार्डधारी वयस्क व्यक्ति द्वारा रोजगार की मांग किये जाने पर उसे रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा ।
- परिवार का कोई भी सदस्य, परिवार की 100 दिन की मजदूरी की पात्रता के अनुसार रोजगार के लिए ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत में आवेदन दे सकता है ।
- रोजगार पाने के लिए पंजीकृत वयस्क को एक सादे कागज में लिखित में ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत को देना होगा ।
- ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा आवेदन करने वाले को आवेदन प्राप्ति की पावती दी जावेगी ।
- आवेदन कम से कम 14 दिनों के निरंतर कार्य के लिये किया जाना चाहिये ।

मजदूरी की दरें क्या होंगी ?

- मजदूरी, श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिए निर्धारित दर से दी जायेगी ।

मजदूरी का भुगतान किस प्रकार किया जावेगा ?

- मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक किया जायेगा, किसी भी परिस्थिति में यह 15 दिन से ज्यादा देरी से नहीं होगा ।
- मजदूरी भुगतान बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से दी जायेगी ।

कार्य उपलब्ध न कराने की दशा में क्या कोई बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था है ?

- यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर अथवा एस तारीख को जिससे आवेदक ने रोजगार चाहा है, जो भी तिथि बाद में पड़े के 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी ।
- बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के आधे की दर से दिया जायेगा

क्या रोजगार उपलब्ध कराने की कोई समय सीमा है ?

- आवेदन देने की तारीख के 15 दिन के भीतर अथवा उस तारीख से जब से कि रोजगार मांगा गया है, इसमें से जो भी तिथि गिनती में बाद में पड़े, आवेदक को रोजगार दिया जायेगा ।
- आवेदक को यह बताते हुए लिखित में सूचित किया जाएगा कि उसे काम के लिये कहां और किससे संपर्क करना है ।
- इसकी सार्वजनिक सूचना जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी ।
- सामान्यतः आवेदक को उसके स्थानीय निवास की 5 कि.मी. के दायरे में रोजगार दिया जायेगा, यदि रोजगार 5 कि.मी. की सीमा के बाहर दिया जाता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत आने जाने एवं अन्य व्यवस्था के लिए दिया जायेगा ।

कार्यस्थल पर मजदूरों को क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी ?

- उस स्थान पर जहां काम हो रहा है, पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा की सामग्री एवं छोटी–मोटी तकलीफों के लिए दवाएं तथा मजदूरों के 6 वर्ष से कम आयु के 5 से अधिक बच्चे होने पर झूलाघर की व्यवस्था की जायेगी ।
- यदि काम के दौरान किसी दुर्घटना में मजदूर घायल हो जाता है तो उसे चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी ।
- किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर 25,000/– तक या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जायेगा ।
- महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलें इसके लिए हितग्राहियों में एक तिहाई महिलाएँ होंगी ।

योजना के अंतर्गत लिये जाने वाले कार्य

- जल संरक्षण एवं संवर्धन
- सूखा रोकने, वन रोपण/वृक्षारोपण
- सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान व भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध ।
- परंपरागत जल संरचनाओं का पुनरूद्धार करना ।
- तालाबों की गाद निकालना ।
- कपिल धारा उप योजना के कार्य
- नन्दन फलोद्यान उप योजना के कार्य ।
- भूमि का विकास ।
- बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी ।
- 12 मासी सड़कों के रूप में ग्रामीण सड़क संपर्क ।

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. की सांख्यिकी जिला – छिन्दवाड़ा

31 मार्च 2010 की स्थिति में

- कार्य की मांग करने वाले परिवार – 1.63855 Lakh
- परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया – 1.63855 Lakh

- **कुल मानव दिवस** – 60.59 Lakh
  - अनुसूचित जाति – 7.45 Lakh (12.3 %)
  - अनुसूचित जनजाति – 37.21 Lakh (61.41%)
  - महिला – 22.76 Lakh (37.56%)
  - अन्य – 15.93 Lakh (26.29%)

- **कुल निधि** – 164.38 Crore
  - केन्द्र से प्राप्त – 8500.00 Lakh
  - राज्य से प्राप्त – 1188.89 Lakh

- **व्यय** – 103.4 Crore
  - सामग्री पर व्यय – 4516.04 Lakh
  - मजदूरी पर व्यय – 5440.62 Lakh
  - प्रशासनिक पर व्यय – 383.179 Lakh

- **कुल कार्य** – 23723
  - पूर्ण कार्य – 8055
  - चल रहे कार्य – 15668

- **सामाजिक अंकेक्षण**
  - ✓ कुल ग्राम पंचायत – 803
  - ✓ ग्राम पंचायतें जहां सामाजिक अंकेक्षण कराया गया – 801
  - ✓ कुल कार्य – 23723
  - ✓ जिला स्तर पर किया गया कार्यो का निरीक्षण – 2065
  - ✓ जनपद स्तर पर किया गया कार्यो का निरीक्षण – 21957

- **शिकायतें**
  - ✓ कुल प्राप्त – 570
  - ✓ निराकृत – 506

- **बैंक/पोष्ट ऑफिस खाते**
  - ✓ बैंक में खोले गये कुल खाते – 164440
  - ✓ पोष्ट ऑफिस में खोले गये कुल खाते – 15011

एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए. की सांख्यिकी जिला – छिन्दवाड़ा

31 मार्च 2010 की स्थिति में

- **कपिलधारा उपयोजना**
  - प्रारंभ कूप – 7890
  - पूर्ण कूप – 5313
  - प्रगतिरत कूप – 2577

- **नन्दन फलोद्यान**
  - हितग्राही जिनके प्रोजेक्ट स्वीकृत किये गये – 2581
  - कुल रोपित क्षेत्रफल – 1414 हेक्टे.
  - कुल रोपित पौधों की संख्या – 429117
  - कुल व्यय राशि – 634.47 लाख

- **वन्या**
  - अर्जुन वृक्षारोपण (क्षेत्र. हेक्ट. में) – 30
  - अर्जुन वृक्षारोपण (पौधों की संख्या) – 50010
  - अर्जुन वृक्षारोपण (व्यय राशि लाख में) – 32.00
  - साज वृक्षारोपण (क्षेत्र. हेक्ट. में) – 30
  - साज वृक्षारोपण (पौधों की संख्या) – 50010
  - साज वृक्षारोपण (व्यय राशि लाख में) – 32.00

- **निर्मल वाटिका**
  - कुल प्रगतिरत कार्य – 1356
  - कुल पूर्ण कार्य – 831
  - पूर्ण कार्य पर लागत – 25.68 लाख

- **भूमि शिल्प**
  - चयनित हितग्राहियों की संख्या – 16334
  - पूर्ण मेढ़ बंधान की लंबाई – 1387131 मीटर
  - मेढ़ बंधान के अर्थवर्क का आयतन – 953458.64 घन मीटर
  - पूर्ण कार्य पर व्यय राशि – 868.09 लाख

- **शैलपर्ण**
  - चिन्हांकित पहाड़ी/टीले का क्षेत्रफल – 1373.76 हेक्टेयर
  - कंटूर ट्रेन्च की लम्बाई – 39600 मीटर
  - गली प्लग, बोल्डर चेक (संख्या) – 269
  - जलाउ लकड़ी का वृक्षारोपण (रोपित पौधे) – 7210
  - चारापत्तियों हेतु वृक्षारोपण (रोपित पौधे) – 1135

- **निर्मल नीर**
  - निर्मित कूपों की संख्या – 227
  - निर्मित कूपों पर कुल लागत (लाख में) – 308.94
  - निर्मित तालाबों की संख्या – 49
  - निर्मित तालाबों पर कुल लागत (लाख में) – 211.53

Toll Free No – Distt. Chhindwara - 18002331133